मुकदमा नं020 / 2012
पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

तारीख रजू:– 16.02.2012

1. रामेश्वर पुत्र गिर्राज
2. बाबू पुत्र गिर्राज
3. साहबसिंह पुत्र गिर्राज
4. बिरमा पत्नि कप्तानसिंह
5. गीता पत्नि हाकिमसिंह
6. अमरिता पत्नि तेजसिंह
7. जगदीश पुत्र धनसिंह

जातियान गुर्जर निवासी बेडा बनकी

तहसील हिण्डौन जिला करौली

———————— सायलान

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी ——— गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :– 10-12-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने इस अदालत में गैरसायल व प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त उनवान का वाद पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 369 / 1311 रकबा 0.34 है0 ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त भूमि सायलान के पूर्वज फिरंगी पुत्र नानगा गुर्जर के एक मात्र कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि थी, जो सायलान को विरासत में प्राप्त हुई है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 310 रकबा 0.15 है0, 311 रकबा 0.12 है0, 312 रकबा 0.26 है0, 340 रकबा 0.58 है0, वाके ग्राम बेडा बनकी के 1 / 5 हिस्से की भूमि सायलान के पूर्वज फिरंगी पुत्र नानगा गुर्जर के कब्जे काश्त व खातेदारी की थी जो सायलान को विरासत में प्राप्त हुई है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 350 रकबा 0.79 है0, 359 रकबा 0.40 है0, 360 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम बेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:01:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बनकी का 1/6 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 290 के 1/2 हिस्सा का सायलान का पूर्वज फिरंगी पुत्र नानगा खातेदार काश्तकार था। जो सायलान को विरासत में मिली है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सायलान का पूर्वज फिरंगी दिनांक 12.05.2000 को लाऔलाद बिना किसी बसीयत कराये ही फौत हो गया। सायलान उसके कानूनी वारिस हैं तथा उसके तर्के पर काबिज हैं। सायलान एवं मृतक फिरंगी का सजरा अंकित किया है जिसमें फौंदे के दो लडके सुन्दर व नानगा थे, सुन्दर के दो लडके गिर्राज धर्मसिंह तथा गिर्राज के वारिसान रामेश्वर बाबू तेजसिंह हाकिम साहबसिंह कप्तानसिंह है तथा तेजसिंह के वारिस उसकी पत्नि अमरिता तथा हाकिम के वारिस उसकी पत्नि गीता तथा कप्तानसिंह के वारिस उसकी पत्नि बिरमा है। नानगा के एक लडका फिरंगी था जो लाऔलाद फौत हो चुका है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि मृतक फिरंगी पुत्र नानगा द्वारा छोडी गयी जमीन जायदाद से गैरसायल एवं दावे के प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी का कोई बास्ता किसी प्रकार का नहीं है। सायलान ही उसके हिस्से की भूमि पर उसके जीवन काल से आज तक काबिज काश्त हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि अल कन्टेनर डिपो में आ गयी है लेकिन उक्त भूमि खातेदार फिरंगी के फौत होने के बाद भी राजस्व रिकार्ड में उसी के नाम दर्ज है, जबकि सायलान उसके कानूनी वारिस हैं तथा सायलान के नाम खातेदारी में दर्ज होना चाहिए, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण सायलान के नाम दर्ज नहीं हुई तथा मृतक फिरंगी के नाम से ही खातेदारी में दर्ज नहीं हुई तथा मृतक फिरंगी के नाम से ही खातेदारी में दर्ज है तथा अब जमीनों की कीमत बढ जाने के कारण गैरसायल के दिल में बदयान्ति आ गयी तथा गैरसायल अब फर्जी कार्यवाही कर उक्त विवादित भूमि को अपने नाम कराने की फिराक में हैं तथा सायलान को जानकारी दिनांक 24.01.2012 को होने पर गैरसायल से अलग अलग खातेदारी कराने को कहा, तो गैरसायल साफ इन्कार हो गये तथा सायलान को बेदखल करने की स्पष्ट धमकी दी। अगर गैरसायल अपने इरादे में कामयाब हो गये तो हकूक सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायल उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी नहीं हो सकती है गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उसे कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैंसला मुकदमा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:01:5
Reason: SelfAttested

पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायल स्वंय अथवा अन्य के द्वारा आराजी मुतजिका मद नं02,3,4 प्रार्थना पत्र के सायलान के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। सायलान को मृतक खातेदार फिरंगी के हिस्से की भूमि को काश्त करने देवें। सायलान को जबरन बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि को गुपचुप कार्यवाही कर अपने नाम नहीं करायें। ना ही कन्टेनर डिपो में अपने नाम से कोई कार्यवाही कर अनुचित लाभ उठावें। रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल बाद तामील उपस्थित हुए किन्तु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया इसलिए दिनांक 27.07.2021 को गैरसायल का जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 किता 4, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र फिरंगी गुर्जर पुत्र नानगा गुर्जर निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डौन मृत्यु दिनांक 12.05.2000 रजिस्ट्रीकरण सं0 09 दिनांक 11.10.2001, फोटो प्रति सरपंच ग्राम पंचायत बनकी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किये है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 369/1311 रकबा 0.34 है0 ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन की खातेदारी फिरंगी पुत्र नानगा जाति गुजर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 310 रकबा 0.15 है0, 311 रकबा 0.12 है0, 312 रकबा 0.26 है0, 340 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन की खातेदारी फिरंगी पुत्र नानगा हि0 1/5 जाति गुजर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 350 रकबा 0.79 है0, 359 रकबा 0.40 है0, 360 रकबा 0.35 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन की खातेदारी फिरंगी पुत्र नानगा हि0 1/[illegible] जाति गुजर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:01:5
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 290 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की खातेदारी फिरंगी पुत्र नानगा, चिरंजी पुत्र चन्दे जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र फिरंगी गुर्जर पुत्र नानगा गुर्जर निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डौन मृत्यु दिनांक 12.05.2000 रजिस्ट्रीकरण सं0 09 दिनांक 11.10.2001 के अनुसार फिरंगी गुर्जर की मृत्यु होना सही है।

फोटो प्रति सरपंच ग्राम पंचायत बनकी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि फिरंगी पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डौन जिसकी मृत्यु दिनांक 12.05.2000 को घर पर ही वृद्ध अवस्था के कारण , जिसके वारिस रामेश्वर पुत्र गिर्राज, बाबू पुत्र गिर्राज, साहबसिंह पुत्र गिर्राज, कप्तानसिंह पुत्र गिर्राज, अमरिता बेबा तेजसिंह, गीता बेबा हाकिमसिंह, जगदीश पुत्र धनसिंह वारिस हैं। फिरंगी नाऔलाद है। इनको हम भली भॉति से जानते हैं। उक्त प्रमाण पत्र पर श्रीमती फूलवती सरपंच ग्राम पंचायत बेडा बनकी के हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रमाण पत्र किस तारीख को जारी किया हुआ है अर्थात उक्त प्रमाण पत्र पर जारी दिनांक अंकित नहीं है।

सरपंच ग्राम पंचायत बेडा बनकी के उक्त प्रमाण पत्र के अलावा सायलान के द्वारा ऐसा अन्य कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि सायलान ही मृतक फिरंगी पुत्र नानगा गूजर के वारिसान हों।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात से सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है और ना ही सायलान मृतक फिरंगी के वारिसान अपने आपको साबित कर पाये हैं। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ना ही सायलान ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया है कि उक्त विवादित आराजीयात में खातेदार मृतक फिरंगी पुत्र नानगा गूजर के हिस्से पर सायलान का कब्जा काश्त हो। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेस केस एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 369/1311 रकबा 0.34 है0,310 रकबा 0.15 है0,311 रकबा 0.12 है0, 312 रकबा 0.26 है0, 340 रकबा 0.58 है0, 350 रकबा 0.79 है0, 359 रकबा 0.40 है0, 360 रकबा 0.35 है0, 290 रकबा 0.05 है0 वाके बेडा बनकी तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 10-12-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verifie
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:01:5
Reason: SelfAttested